"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012—भाद्र 9, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक 1659/1238/2012/1-8.—श्री के. के. बाजपेयी, उप सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक 1128/586/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 11-06-2012 से 18-06-2012 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09-06-2012 एवं 10-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक 1130/573/अव./2012/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30-06-2012 से 05-07-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक 1132/576/अव./2012/1-8/स्था.—श्री चन्द्रशेखर ओंकार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 28-07-2012 से 04-08-2012 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 05-08-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ओंकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओंकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक 1134/578/अव./2012/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 728-29/464/अव./2012/1-8/स्था., दिनांक 13-06-2012 द्वारा श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 14-06-2012 से 23-06-2012 तक 10 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24-06-2012 से 25-06-2012 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 13-06-2012 के अनुसार यथावत् होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्रमांक/एफ 1/68/दो गृह/भापुसे/2003.—श्री अरूणदेव गौतम, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, रेल/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 25-06-2012 से दिनांक 05-07-2012 (11 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गौतम आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, रेल/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गौतम को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

. श्री रः गदेव गौतम, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, रेल/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री संयज पिल्ले, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौतम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित नगरों के निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

निवेश क्षेत्रों का नाम :—
जिला कोरबा - (1) पाली, (2) पोडी-उपरोड़ा, (3) करतला
जिला धमतरी- (1) आमदी, (2) दरबा

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 7-30/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नरहरपुर, निवेश क्षेत्र, जिला कांकेर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

नरहरपुर, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मर्रामपानी, नरहरपुर एवं सुरही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम सुरही, नरहरपुर एवं कोचवाही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कोचवाही एवं बहनापानी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कोचवाही, बहनापानी एवं मर्रामपानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक/3584/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 21-10-2010 द्वारा की मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही सम्पन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था जिसे पुनः समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/455/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 08-02-2012 द्वारा और 06 माह के लिए मुल्तवी करने की अवधि बढ़ाई गई है.

राज्य शासन की राय है कि मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 09 नए जिल के गठन होने से कतिपय मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में और परिवर्तन हुआ है, जिसे पूरा करने में समय लगना अवश्यंभावी है, जिसके कारण मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन लगभग आगामी 06 माह तक कराया जाना संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम-1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा-57 'क' के उपधारा (1) (संशोधन) अधिनियम 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को 06 माह की अवधि के लिए मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2012

क्रमांक 1246/एफ 21/16/2010/13/2/ऊ.वि.—चूंकि, राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार राज्य में नवीन उद्योगों के प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक तथा जनहित में है कि ऐसे नये उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये ;

अतएव, (छत्तीसगढ़) विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-ख के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य की औद्योगिक नीति 2009-14 के पैरा 10 के अनुपालन में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पात्र नवीन उद्योगों को नीचे तालिका में यथा उल्लेखित कालावधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

1. (क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट।
	अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक छूट।	अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक छूट।
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट।

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (संलग्न परिशिष्ट–5 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट।
	अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक छूट।	अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक छूट।
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट।

(ख) वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (संलग्न परिशिष्ट–4 के अनुसार)	सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 03 वर्ष तक छूट।	सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट।
	अप्रवासी भारतीय /शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 04 वर्ष तक छूट।	अप्रवासी भारतीय /शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक छूट।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (संलग्न परिशिष्ट-5 के अनुसार)	सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट। अप्रवासी भारतीय /शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक छूट।	सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट। अप्रवासी भारतीय /शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक छूट।

2. उपरोक्त छूट, निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगीः–

(1) विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शवलीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्रता नहीं होगी।

(2) औद्योगिक नीति 2009–14 में यथा निर्दिष्ट संतृप्त उद्योगों की सूची, जो विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट के लिए पात्र नहीं है, परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

(3) औद्योगिक नीति 2009–14 यथा निर्दिष्ट प्राथमिकता उद्योगों की सूची, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र है, परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

(4) औद्योगिक नीति 2009–14 में यथा निर्दिष्ट कोर सेक्टर से संबंधित उद्योगों की सूची, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं है, परिशिष्ट–3 में संलग्न है।

(5) संबंधित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छूट की कालावधि के दौरान तक अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की दशा में कुलश श्रमिकों की न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अधिकारी/प्रशासकीय पदों के न्यूनतम एक तिहाई पद पर राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करेगा।

(6) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लाभ की सुविधा हेतु नवीन औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम औद्योगिक इकाई, वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, कोर सेक्टर के उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन, अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, महिला उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त व्यक्ति इत्यादि का वर्गीकरण एवं विस्तार औद्योगिक नीति 2009–14 में सम्मिलित परिभाषा अनुसार होगा।

3. **विद्युत शुल्क से छूट हेतु प्राप्त आवेदनों का निपटारा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने की प्रक्रियाः-**

(1) औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को विद्युत शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु, संबंधित निवेशक को आवेदन के साथ-साथ उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित और साक्ष्यांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसमें उद्योग में निवेश के आकार, उद्योगों की श्रेणी, निवेशक के वर्गीकरण, उद्योगों के नवीन होने, शवलीकरण, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन आदि से संबंधित न होने, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जैसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे तथा इकाई को विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट की पात्रता तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक की स्वत्व घोषणा रखनी होगी।

(2) उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुशंसित आवेदन, जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, आवेदक की इकाईयों की श्रेणी, उद्योग की स्थिति, निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता अवधि के विवरण अंतर्विष्ट होंगे जिसे मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) औद्योगिक इकाई, औद्योगिक नीति 2009-14 में अनुबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य के मूल निवासियों के लिए निर्धारित प्रतिशत तक उन्हें (अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की दशा में कुशल श्रमिकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अधिकारी/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई) नियोजित करेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के संबंध में, संबंधित कलेक्टर से जारी प्रमाण-पत्र सहित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से आयुक्त उद्योग को प्रेषित करेगी तथा तत्पश्चात आयुक्त, उद्योग संचालनालय अपनी अनुशंसा सहित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

(4) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से अनुशंसित आवेदन की जांच करेगा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र जारी करेगा। तद्नुसार प्रमाण-पत्र में उल्लेखित अवधि के लिये विद्युत शुल्क में छूट प्राप्त होगी।

(5) मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की किसी भी शर्त अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 में अनुबद्ध प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

(6) उपर्युक्त पैरा (4) में यथा विहित पात्रता के रद्द समझे जाने की दशा में, ऐसे उद्योग को ब्याज सहित विद्युत शुल्क की राशि राज्य के राजकोष में जमा करना आवश्यक होगा, यदि विद्युत शुल्क के भुगतान से किसी छूट का लाभ ऐसी तारीख से प्राप्त होता है जिससे इकाई निर्योग्य हो गई हो। यदि ऐसे वसूली योग्य बकाया का भुगतान नहीं किया जाता, तो वह भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

(7) विद्युत शुल्क में छूट से संबंधित पात्रता के विषय में छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(8) अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह अधिसूचना 01 नवम्बर 2009 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-1

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची, जिन्हें विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता नहीं है:-

1. स्टोन क्रेशन/गिट्टी निर्माण।
2. कोल एवं कोल ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
3. लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
4. समस्त खनिज पदार्थो की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग
5. चूना निर्माण
6. पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग
7. पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
8. एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
9. स्पंज आयरन
10. राईस मिल
11. मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर
12. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
13. आरा मिल (सॉ मिल)
14. लेदर टैनरी
15. जॉब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)
16. भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग
17. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जांए।

टीप:- संतृप्त श्रेणी के उद्योग का किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापना की दशा में, सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुए अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–3 में उल्लेखित प्राथमिकता उद्योगों की सूची, जिन्हें विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता है:–

(अ) वर्गीकरण के आधार पर–

1. हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
2. आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3. साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
4. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
5. नॉन फेरस (एल्युमिनियम सहित) मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
6. भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल को छोड़कर)
7. ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
8. फार्मास्यूटिकल उद्योग
9. व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिक उपभोक्ता उत्पाद
10. सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आई.टी. एनेबल्ड सर्विसेस, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग
11. सेरी कल्चर, हार्टी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बॉयो फर्टीलाईजर, पिसीकल्चर से संबंधित उद्योग
12. टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
13. लघु वनोपज पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग
14. भारतीय रेल्वे, दूरसंचार, रक्षा, विमानन कंपनियों एवं अंतरिक्ष विभाग को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
15. अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
16. डिफेन्स, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
17. ग्रामोंद्योग इकाईयाँ (ग्रामोद्योग विभाग से अनुमोदित)
18. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जावें।

टीपः– प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए शासन द्वारा यथा निर्धारित संबंधित उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा का निवेश करना आवश्यक होगा।

(ब) उत्पाद आधारित

1. एच0डी0पी0ई0 बैग्स एवं पाईप्स
2. मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग
3. ट्रान्समिशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्टस/उपकरण
4. स्व–चालित कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस
5. मेटल पावडर
6. बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)

7. लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
8. फ्लाई ऐश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
9. रेडीमेट गारमेंन्टस (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को)
10. सिंगल सुपर फास्टेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
11. 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग
12. बायोडीजल उत्पादन
13. कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फिटिंग
14. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
15. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
16. फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग
17. ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

टीप- प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित संबंधित उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट-3

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-5 में उल्लेखित वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा से युक्त कोर सेक्टर के उद्योगों की सूची जिन्हें, विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता नहीं है:-

1. सीमेंट/क्लिंकर प्लांट
2. इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट
3. एल्यूमिना/एल्युमिनियम प्लांट
4. ताप विद्युत संयंत्र

परिशिष्ट–4

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–6 में उल्लेखित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूचीः–

1. जिला– रायपुर
   विकासखण्ड–धरसींवा, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाटापारा, पलारी ।
2. जिला– बिलासपुर
   विकासखण्ड–बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।
3. जिला– दुर्ग
   विकासखण्ड–बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग
4. जिला– राजनांदगांव
   विकासखण्ड–राजनांदगांव
5. जिला– महासमुंद
   विकासखण्ड–महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली ।
6. जिला– धमतरी
   विकासखण्ड–धमतरी, कुरूद ।
7. जिला– कबीरधाम
   विकासखण्ड–कवर्धा
8. जिला–जांजगीर–चांपा
   विकासखण्ड–डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा
9. जिला– रायगढ़
   विकासखण्ड–रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया
10. जिला– कोरबा
    विकासखण्ड–कोरबा, कटघोरा

परिशिष्ट–5

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ठ–7 में उल्लेखित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूचीः–

1. कोरिया, सरगुजा, जशपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड
2. दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़ एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड।
3. राजनांदगांव जिला – अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखण्ड।
4. रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड।
5. धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।
6. रायगढ़ जिला – धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।
7. बिलासपुर जिला – गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तुरी विकासखंड।
8. महासमुंद जिला – बसना एवं पिथौरा विकासखंड।
9. कबीरधाम जिला – पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।
10. जांजगीर–चांपा–जिला – मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।
11. कोरबा जिला – करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।

Raipur, the 8th June 2012

No. 1246/F-21/16/2012/13/2/ED.—Whereas the State Government is of the opinion that for extending promotion to the new industries of the State as per the Industrial Policy 2009-2014 is necessary and in public interest to exempt such new industries from payment of Electricity Duty ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 3-B of the (Chhattisgarh) Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949), the State Government, in compliance with para 10 of State Industrial Policy 2009-2014, hereby exempts from payment of Electricity Duty to eligible new industries for the period as mentioned in the table below :—

1. (A) MICRO, SMALL & MEDIUM SCALE INDUSTRIES—

AREA	GENERAL INDUSTRY	PRIORITY INDUSTRY
In economically developing areas. (as per enclosed Appendix-4)	Exemption upto 5 years from the date of commencement of commercial production to the Industries established by the entrepreneurs of general category.	Exemption upto 7 years from the date of commencement of commercial production to the Industries established by the entrepreneurs of general category.
	Exemption upto 6 years from the date of commencement of commercial production to the Industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India/100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person/family affected from naxalism and disabled.	Exemption upto 8 years from the date of commencement of commercial production to the Industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India/100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person/family affected from naxalism and disabled.

	Exemption upto 10 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by entrepreneurs of Scheduled Caste / Scheduled Tribes.	Exemption upto 10 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by entrepreneurs of Scheduled Caste / Scheduled Tribes.
In economically backward areas. (as per enclosed Appendix -5)	Exemption upto 7 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of general category.	Exemption upto 10 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of general category.
	Exemption upto 8 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India / 100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person / family affected from naxalism and disabled.	Exemption upto 11 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India / 100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person / family affected from naxalism and disabled.
	Exemption upto 10 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by entrepreneurs of Scheduled Caste / Scheduled Tribes.	Exemption upto 12 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by entrepreneurs of Scheduled Caste / Scheduled Tribes.

(B) LARGE INDUSTRY / MEGA PROJECT / ULTRA MEGA PROJECT-

AREA	GENERAL INDUSTRY	PRIORITY INDUSTRY
In economically developing area. (as per enclosed Appendix -4)	Exemption upto 3 years from the date of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of General category and Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Exemption upto 4 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India / 100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person / family affected from naxalism and disabled.	Exemption upto 5 years from the date of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of General category and Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Exemption upto 6 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India / 100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person / family affected from naxalism and disabled.
In economically backward areas. (as per enclosed Appendix -5)	Exemption upto 5 years from the date of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of General category and Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Exemption upto 6 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India / 100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person / family affected from naxalism and disabled.	Exemption upto 7 years from the date of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of General category and Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Exemption upto 8 years from the date of commencement of commercial production to the industries established by the entrepreneurs of Non-Resident of India / 100% FDI investors, women entrepreneurs, Retired Army Personnel of State, person / family affected from naxalism and disabled.

2. Above exemption shall be subjected to following conditions:-

(1) Expansion to the existing industries, diversification, backward integration & forward integration shall not be eligible for exemption from payment of Electricity Duty.

(2) List of saturated industries as indicated in Industrial Policy 2009-2014 who are not eligible for exemption from payment of Electricity Duty is enclosed in Appendix -1.

(3) List of priority industries as indicated in Industrial Policy 2009-2014 who are eligible for exemption from payment of Electricity Duty is enclosed in Appendix -2.

(4) List of industries belonging to Core Sector as indicated in Industrial Policy 2009-2014 who are not eligible for exemption from payment of Electricity Duty is enclosed in Appendix -3.

(5) Concerned industry shall employ minimum 90% of unskilled labour, in case of availability of skilled labour minimum 50% skilled labour and minimum one third local residents of the State at officers / administrative posts during the period of exemption from the date of commercial production.

(6) For facilitating benefits of exemption from payment of electricity duty, classification and scope of new industrial unit, micro and small industries, medium industrial unit, large industrial unit, mega project, ultra mega project, date of commencement of commercial production, general industry, priority industry, industry of saturated category, industry of core sector, extension of existing industry, backward integration and forward integration, Non Resident of India / 100% F.D.I. investors, women entrepreneur, retired army personnel of State, persons / family affected from Naxalism and disabled etc., shall be in accordance with definition included in Industrial Policy 2009-2014.

3. Disposal of application received for exemption from Electricity Duty and procedure for granting exemption from payment of Electricity Duty:-

(1) For availing benefit of exemption in Electricity Duty eligible industrial unit under Industrial Policy 2009-2014, the concerned investor shall be required to submit an application along with a duly certified and attested by a competent authority of Industry Department containing details such as size of investment in the industry, category of industry, classification of investor, industry being a new industry and is not related with diversification, backward integration and forward integration, date of commencement of commercial production, and the unit possess the eligibility for exemption from payment of Electricity Duty and a self declaration with Chief Electrical Inspector.

(2) An application duly recommended by officer authorized by Commissioner / Director of Industry or Department of Commerce & Industry , containing details of classification of investor, category of applicants unit, location of industry, ceiling of investment, actual investment, date of commencement of commercial production, eligibility period for exemption in Electricity Duty shall be submitted with Chief Electrical Inspector.

(3) In compliance with the stipulated provisions in the Industrial Policy 2009-2014, industrial unit shall employ up to percentage (minimum 90% of unskilled labour, in case of availability of skilled labour minimum 50% skilled labour and minimum one third local residents of the State at officers / administrative posts) indicated to the domicile of State and application for exemption from payment of electricity duty for the scheduled period from the date of commencement of commercial production shall be submitted to Commissioner of Industry through Chief General Manager / General Manager of District Commerce and Industry Centre with the certificate issued from concerned Collector regarding employment to domicile of Chhattisgarh and then Commissioner of Directorate of Industry shall forward application with recommendation to the office of the Chief Electricity Inspector.

(4) Chief Electrical Inspector shall examine the application duly recommended by Commissioner Industry, Industrial Directorate, Government of Chhattisgarh and issue a certificate in prescribed format for availing benefit of exemption from payment of Electricity Duty. Accordingly exemption for electricity duty shall be available for the period mentioned in the certificate.

(5) In case of violation of any conditions of the certificate issued by Chief Electrical Inspector or provisions stipulated in Industrial Policy 2009-2014, the eligibility for exemption from payment of Electricity Duty shall be deemed to be cancelled.

(6) In case of deemed cancellation of the eligibility as prescribed in para (4) above, then such industry shall be required to deposit the amount of Electricity Duty with interest in the State Exchequer, if any exemption from payment of Electricity Duty is availed from such date on which the unit has been disqualified. If payment of such recoverable dues is not made then same shall be recovered as if it is an arrears of Land revenue.

(7) Regarding eligibility related to exemption from Electricity Duty the decision of Energy Department, Government of Chhattisgarh shall be final and binding.

(8) Incomplete application shall not be considered.

This notification shall be deemed to have come into effect from 1st November, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH KUMAR AGARWAL, Joint Secretary.

Appendix-1.

List of Industries of Saturated category indicated in Appendix -2 of Industrial Policy 2009-2014, which are not eligible for exemption from Electricity Duty:-

1. Stone crusher / manufacturing of ballast (gitti).
2. Coal and Coke briquette, coal screening (excluding coal washery).
3. Lime powder, lime chips, dolomite powder and all types of mineral powder.
4. Crushing, grinding and pulverizing of all type of minerals.
5. Manufacturing of lime.
6. Industries based on the pan masala, supari and other tobacco.
7. Polythene bags (excluding H.D.P.E bags).
8. Alcohol, distillery and Beverage based on Alcohol.
9. Sponge Iron.
10. Rice Mill.
11. Mini Cement Plant/clinker.
12. Industries based on crackers, Matches Aatishbaji.
13. Ara Mill (Saw Mill).
14. Leather tannery.
15. Job Work (Excluding job work done by Micro industries).
16. Industry established by Public undertakings of Government of India, State Government or any State Government.
17. Such other industries as notified by the State Government.

NOTE : In case of establishment of Industry of Saturated category along with the Industry of any other category, the eligibility of subsidy and concession shall be determined by considering the entire project as that of Saturated category.

Appendix -2.

List of Priority Industries indicated in Appendix -3 of Industrial Policy 2009-2014, which are eligible for exemption from Electricity Duty :-

(a) On the basis of classification

1. Processing of Herbal and medicinal plant.
2. Automobile / auto components.
3. Cycle and product/ accessories/ spares used for manufacturing of cycle.
4. Plant/ machineries/ engineering products and its spares.
5. Downstream product based on non-ferrous (Including Aluminum) metal.
6. Industries based on agriculture and food processing defined by Govt. of India (Except Rice Mill).
7. Branded dairy product (Including milk chilling).
8. Pharmaceutical industry.
9. White goods, electronic and electrical consumer goods.
10. Industries falling under Information technology and IT enabled Services, Bio-Technology and industries falling under Nano Technology.
11. Industries relating to Seri culture, horti culture, flouri culture, bio-fertilizer, pisci culture.
12. Textile Industry (Spinning, weaving, power loom and Fabrics & other process).
13. Processing industry based on minor forest products.
14. Products/equipments/spares used by Indian Railway, Telecommunication, Defence, Aviation companies and Space Department.
15. Power generation from non-conventional sources.
16. Defence, Medical and Laboratory equipments.
17. Village Industries (approved by Village Industries Department).
18. Such other category industries as notified by the State Government.

NOTE:- It is mandatory that to invest up to the minimum limit in plant & machinery head in concerned industry as prescribed by State Government for the eligibility of Priority sector.

(b) Product Based.

1. HDPE bags and pipes.
2. Molded furniture, containers and P.V.C. Pipes & fittings.
3. Transmission line tower/ mobile tower and their spare parts/ equipments.
4. Automatic agricultural equipment and tractor based agricultural implements.
5. Metal power.
6. Industries based on bamboo (In which bamboo is used as major raw material and minimum capital investment in plant & machinery should be more than Rs. 25 lacs.
7. Industries based on Shellac (In which shellac is used as major raw material and minimum capital investment in plant & machinery should be more than Rs. 25 lacs.
8. Fly ash product (except cement).
9. Readymade garment (only for industries established in apparel park)
10. Single super phosphate and other fertilizers.
11. 100% export oriented Industry.
12. Bio-diesel Production.
13. Cold rolled strips profiles and fittings.
14. Wagon coach spares and fittings.
15. Cutting tools dyes and fixture.
16. Cutting and polishing of Paving stone (Furshy).
17. Such other product as notified by the State Government.

NOTE:- It is mandatory that to invest up to the minimum limit in plant & machinery head in the concerned industry as prescribed by the State Government for the eligibility of Priority sector.

Appendix – 3

List of Core Sector Industries containing of Large Industry, Mega Project, Ultra Mega Project indicated in Appendix – 5 of Industrial Policy 2009-2014 which are not eligible for exemption from Electricity Duty :-

1. Cement / Clinker Plant.
2. Integrated Steel Plant.
3. Alumina / Aluminum Plant.
4. Thermal Power Plant.

Appendix – 4

List of economically developing areas for industrial investment encouragement indicated in Appendix – 6 of Industrial Policy 2009-2014 :-

1.	District –	Raipur
	Block –	Dharsiva, Tilda, Abhanpur, Balaudabazar, Simga, Arang, Bhatapara, Palari.
2.	District –	Bilaspur
	Blocks -	Bilha, Kota, Takhatpur, Mungeli, Pathariya, Lormi.
3.	District –	Durg
	Blocks -	Bemetara, Saja, Dhamdha, Patan, Gunerdehi, Gurur, Balaud, Berla, Durg.
4.	District –	Rajnandgaon
	Blocks -	Rajnandgaon.
5.	District –	Mahasamund
	Blocks-	Mahasamund, Baagbahara, Saraipali.
6.	District –	Dhamtari
	Blocks -	Dhamtari, Kurud.
7.	District –	Kabir Dhaam
	Blocks-	Kawardha.
8.	District –	Janjgir-Champa
	Blocks-	Dabhra, Akaltara, Shakti, Champa(Bamhanidih), Jangir(Navagarh), Paamgarh, Balauda.
9.	District –	Raigarh
	Blocks -	Raigarh, Pusour, Gharghoda, Tamnaar, Kharsiya.
10.	District –	Korba
	Blocks -	Korba, Katghora.

Appendix – 5

List of economically backward areas for industrial investment encouragement indicated I Appendix-7 of Industrial Policy 2009-2014.

1. All blocks of Koria, Sarguja, Jashpur, Dakshin Bastar Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Uttar Bastar Kanker and Bastar.

2.	Durg District –	Dondi, Navagarh and Dondi-Lohara block.
3.	Rajnandgaon District –	Ambagarh-Chowki, Maanpur, Mohla, Chhuriya, Chhuikhadan, Dongarhgarh, Dongargaon and Kheragarh block.
4.	Raipur District –	Gariyaband, Mainpur, Chhura, Devbhog, Kasdol, Fingeshwar and Bilaigarh, block.
5.	Dhamtari District –	Nagari and Magarload block.
6.	Raigarh District-	Dharamjaygarh, Baramkela, Sarangarh and Lailunga block.
7.	Bilaspur District –	Gorela, Pendra, Marwahi and Masturi block.
8.	Mahasamund District –	Basna and Pithoura block.
9.	Kabirdham District –	Pandriya, Lohara and Bodla block.
10.	Jangir-Champa District –	Maalkharauda and Jaijepur block.
11.	Korba District –	Kartala, Podi-Uproda and Paali block.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 3-85/2003/12.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अक्षांश 19°09' 00" से 19°10' 45" तथा देशांश 82°07' 45" से 82°09' 45" (टोपोशीट क्रमांक 65 आई/4) के अंतर्गत जिला एवं तहसील जगदलपुर के ग्राम तारापुर एवं उलनार के वन भूमि एवं राजस्व भूमि के तहत आने वाले क्षेत्र पर एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा-11 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के तहत बस्तर क्षेत्र में संयंत्र स्थापना के इच्छुक कैप्टिव यूज के आवेदकों से खनिज बाक्साईट के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

2. खनिज बाक्साईट के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर में इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्राप्त किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक 6078/अ/वर्ष 2011-12/भू.अ.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	पाहंदा	0.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पाहंदा एनीकट निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक 18/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासम, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खुरदुर प.ह.नं. 13	2.567	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 17/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कलारतराई प.ह.नं. 13	0.473	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्रमांक 14254/भू-अर्जन/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाड़ादरहा प.ह.नं. 02	74.39	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 27 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कांसाबेल	नक्टीमुण्डा प. ह. नं. 09	2.165	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	मैनी एनीकट योजना का मुख्य नहर चैन क्रमांक 337 से 370 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जवाली	3.692	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कोलार नाला एनीकट

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त/2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बुंदेली	2.047	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कोलार नाला स्टापडेम

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मोवा प. ह. नं. 109	650/5, 651/5	20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	रायपुर - बलौदाबाजार मार्ग के कि.मी. 6/6 पर जब्बार नाला पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			650/4, 651/4	70		
			650/3, 651/3	70		
			650/2, 651/2	50		
			650/1, 651/1	20		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			654/9, 927/9	130		
			654/8, 927/8	60		
			654/7, 927/7	20		
			योग	440		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-खोखरा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.403 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22	0.251
	45/3	0.032
	557/7च	0.130
	646/2ख	0.024
	11/4	0.113
	491/4	0.121
	484/2	0.020
	645/1ख	0.241
	9/1ग	0.032
	492/2ख	0.012
	688/5	0.061
	153/7	0.010
	154/1ट	0.081
	557/7ङ	0.202
	645/7ग	0.073
योग	15	1.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण (पूरक) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 01 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/20[illegible]1-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि [illegible]चे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्[illegible] अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित [illegible]ा जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुटकापुरी, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.731 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	28/7	0.004
	36/6	0.020
	62/8	0.016
	35	0.283
	149/2	0.024
	62/10	0.055
	36/4	0.077
	158/2	0.057
	157/5	0.008
	36/5	0.077
	159	0.057
	46/617/10	0.053
योग	12	0.731

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 01 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.939 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
266/1	0.033
286/2	0.021
397/4	0.006
266/2	0.085
267/2	0.097
593/4	0.129
268/1	0.006
420/1, 420/2	0.077
661/1	0.065
280/2	0.121
281/2	0.081
593/2	0.057
281/3	0.041
593/6	0.004
281/4	0.151
282/2	0.181
366/5	0.006
651/2	0.006
602/2	0.006
311	0.004
666/10	0.071
604/3	0.006
380/1	0.137
382	0.051
383/2	0.057
396	0.006
399/2	0.029
421/2	0.061
383/3	0.197
387/2	0.080
387/5	0.061
387/9	0.033
388/1	0.105
601/1	0.008
388/2	0.145
400	0.105

(1)	(2)
390	0.077
401/1	0.129
418/1	0.165
591	0.024
421/1	0.045
421/3	0.121
592/2	0.087
668/1	0.037
670/2	0.071
592/3	0.057
670/1	0.055
593/3	0.081
593/5	0.071
594/1	0.020
660	0.029
595/4	0.015
597/1	0.201
595/1	0.141
597/3	0.097
659	0.051
602/1	0.233
384/1	0.049
651/3	0.111
661	0.200
663	0.025
669/1	0.004
664	0.004
597/4	0.025
595/3	0.026
592/1	0.057
662/1	0.081
422/2	0.004
666/8	0.217
योग 69	4.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की जामपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 01 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुरा, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.277 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
207	0.251
208/1	0.014
209	0.121
210	0.085
302	0.025
211/2	0.118
224/2	0.006
212/1क	0.029
212/1ख	0.004
213/1	0.086
213/2, 214/1	0.049
213/3, 214/2	0.121
822	0.021
224/1	0.083
224/3	0.100
298/3	0.020
300/3	0.081
245	0.157
246/1	0.053
296/1	0.067
296/3	0.040
297/3	0.008
297/4	0.081
297/5	0.049
297/6	0.021

(1)	(2)
298/2	0.004
301	0.162
304	0.113
303/1क	0.040
303/2	0.004
327/1	0.383
327/2	0.160
328	0.009
323, 821	0.240
339/1क	0.160
339/1ख	0.161
339/2	0.006
816/1, 816/2	0.029
820/2	0.109
820/3	0.129
820/5	0.078
337/2	0.055
337/3	0.081
337/4	0.005
योग 44	3.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर के जामपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक 917/नग्रानि/2012.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट खरसिया निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में - ग्राम मदनपुर, तेलीकोट तथा रतन महका की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में - ग्राम रतन महका, गोपीमहका, नगर खरसिया तथा ग्राम अंजोरीपाली के पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में - ग्राम अंजोरीपाली तथा मोहापाली के दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में - ग्राम मोहापाली तथा मदनपुर के पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद्, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

No. 917/N.G.N./2012.—It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section-15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (23 of 1973) an existing land use map of the planning area of "Kharsia Town" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Raigarh (C.G.) Copy of this notice is being sent for publication in the

Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section-15 of the said Act, and will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

NORTH - Village Madanpur, Telikot & upto Northern Limit Village Ratan Mahka.
WEST - Village Ratan Mahka, Gopi Mahka, Kharsia & upto Western Limit Village Anjoripali.
SOUTH - Village Anjoripali upto Northern Limit Southern Village Mohapali.
EAST - Village Mohapali upto Eastern Limit Village Madanpur.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours, execpt holidays.

Place of Inspection :— Office of the Municipal Council, Kharsia, Distt. Raigarh (C.G.)

के. एस. कंवर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्रमांक क/खलि/तीन-1/2012/1282.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम (12) के तहत, जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	धनसूली	32	तिल्दा	398/1	1.465 हेक्टर (निजी भूमि)	मेसर्स मेकडम मेकर्स प्रो. नंदलाल जसवानी को उक्त क्षेत्र पर दिनांक 14-06-2002 से 13-06-2012 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा की लीज अवधि समाप्त होने व नवकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त मान्य होने के फलस्वरूप क्षेत्र रिक्त है.
2.	धनसूली	79/12	आरंग	883 टु	2.06 एकड़ (निजी भूमि)	श्री त्रिपत पाल आ. स्व. श्री हरभजन सिंह को उक्त क्षेत्र पर दिनांक 18-7-2002 से 17-7-2012 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा की लीज अवधि समाप्त होने व नवकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त मान्य होने के फलस्वरूप क्षेत्र रिक्त है.

रोहित यादव,
कलेक्टर.